


Entry

	<p align="center">अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)</p> <p align="center">जमावंदी रद्द अभिलेख वाद सं०- <u>566</u> / 2016-17</p> <p>वाद का प्रकार :- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p>	<p>19/9/16</p> <p>19/9/16</p> <p>19/9/16</p>
<p>19/9/16</p>	<p>झारखंड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा <u>81/138</u> थाना नं० <u>42</u> जमा० सं० <u>664</u></p> <p>खाता सं० <u>138</u> प्लॉट सं० <u>349</u> रकबा <u>0.110</u> x <u>25</u></p> <p>एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 पर जमाबंदी रैयत <u>श्री. वि. र. र. र.</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतए० संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्योँ उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>23/9/16</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी, बलियापुर।</p> <p align="right"> अंचल अधिकारी, बलियापुर।</p>	

19/5/20

लम्बी अवधि के बाद अभिलेख उपस्थापित! संबंधित जमाबन्दी रैयत को पुनः नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें। उनसे कारण पृच्छा करें कि क्यों नहीं जमाबन्दी को अवैध मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक... 29.05.2020 को उपस्थापित करें।

19.5.20

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

29.05.20

13.07.20

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिस, तामिला के पत्रकार प्राप्त हुआ। पूर्व में प्राप्त लगान रसीद 1997 से 2007-08 तक एवं वन्द्योवन्दी पर्चा पंजी II का छाया प्रति संलग्न दिनांक 29-5-2020 को जमाबन्दी रैयत बंशज के द्वारा दलील नं 562 1984 का छाया प्रति संशोधित किया जाकर आबंटन द्वारा उपलब्ध किया गया है कि दलील नं 717 संशोधित एवं वन्द्योवन्दी पर्चा नं 349 दर्ज है। जो अंदिग्या प्रतीत होता है।

अतः, अधीनस्थ अधिकारी हेतु भूमि सुधार उप अधीनस्थ अधिकारी को भेजें।

13.7.20
अंचल अधिकारी
बलियापुर।